उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-80/2016/2214/92-2-2016-89जॉच/2016

लखनऊ :: दिनांक:: 19 दिसम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड-कर्बी के ग्राम पंचायत हिनौतामाफी में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, द्वारा कराये गये निर्माण कार्य में हुई शासकीय क्षति, कार्य पर क्वालिटी इन्शोरेन्स रजिस्टर न बनाने एवं निर्धारित मात्रा में मापी चेकिंग न किये जाने आदि अनियमितताओं के लिये प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री नियाज अहमद, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-चित्रकूट सम्प्रति सेवानिृत्त के विरूद्व सिविल सर्विस रेगुंलेशन (सी0एस0आर0) के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर को पदेन जॉच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-80/2016/2214(1)/92-2-2016 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0शासन के पत्र सं0-जी-85/एस0टी0-सी0टी0ई0/2734-174/10/ 2016-17 दिनांक 30-09-2016 की छायाप्रति इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही में आरोप पत्र गठित कर शासन में तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर।

3- मुख्य अभियंता (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- श्री नियाज अहमद, तत्कालीन सहायक अभियंता, सम्प्रति सेवानिृत्त द्वारा- निदेशक एवं मुख्य अभियंता,ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- अनुसचिव, ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबूराम)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in